संचिका स0—07 / बजट—46—01 / 2022 • 125(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 20 / 03 / 2026

विषयः— राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025—26 में निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू० 10,00,00,000 / —(रूपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुगेर में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल रु० 603.68 करोड (रुपये छ सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय राज्यादेश संख्या—11(7), दिनाक—21 04.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

2— इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० में)	व्ययादेश / आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2024—25	20,00,00,000	स०—178(7), दिनाक— 17 09.2024
2	2024—25	25,00,00,000	सं०—405 (7), दिनाक— 30 01.2025
3	2024—25	10,00,00,000	स०—496 (7), दिनाक— 10.03 2025
4	2024—25	25,00,00,000	सं०—538 (7), दिनांक— 20.03 2025
5	2025—26	15,00,00,000	स०—272 (7), दिनांक— 02.09 2025
6	2025—26	10,00,00,000	स०—349 (7), दिनाक— 06.10.2025
7	2025—26	7,00,00,000	सं०—445 (7), दिनाक— 15.12.2025
8	2025—26	25,00,00,000	सं०— 88(7A), दिनांक— 17.02.2026
9	2025—26	10,00,00,000	स०—101(7A), दिनाक— 02 03 2026
	कुल—	1,47,00,00,000	

3— ज्ञातव्य है कि राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल के निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रो के विरूद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000 / —(रूपये पॉच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक—29 01 2026 के मद सख्या—19 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि रू० 500.00 करोड के अधीन विपत्र कोड 8000—20—4210030500103—53—01 अतर्गत रू० 175.00 करोड मात्र की अग्रिम की स्वीकृति सबधी विभागीय स्वीकृत्यादेश स०—57(7A), दिनाक—30.01 2026 निर्गत की जा चुकी है।

4— अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड (रुपये छ. सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025—26 मे निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू० 10,00,00,000 / —(रूपये दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस राशि के व्यय का वहन शीर्ष खण्ड–II-8000–बिहार आकस्मिकता निधि–माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–8000–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या–11(7), दिनाक–21 04 2022 मे निहित शर्त्तों के अधीन किया जायेगा ।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–07/बजट–46–01/2022 के पृष्ठ–45 /टि0 में प्राप्त है।

13– राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्राक–2779/वि0 दिनाक–19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम मे सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस सदर्भ मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–07/बजट–46–01/2022 – 125 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुगेर प्रमडल, मुगेर/जिला पदाधिकारी, मुगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार ,पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।